

सर्वे के बाद गैर निबंधित परियोजनाओं के खिलाफ कार्रवाई करेगी रेरा



नगर भवन में बैठक करते रेरा के पदाधिकारी • सौ. रेरा

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर : भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) कानून का उल्लंघन करने वाली भू-सम्पदा परियोजनाओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई से पूर्व रेरा की दो सदस्यीय टीम सैटेलाइट सर्वेक्षण के माध्यम से चिह्नित गैर-निबंधित एक दर्जन भू-सम्पदा परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण करने आई है। रेरा बिहार के सचिव अनिमेष पाण्डे के नेतृत्व में टीम ने नगर भवन में जिला एवं नगर निगम के पदाधिकारियों एवं सीओ के साथ बैठक की। इसमें चिह्नित गैर निबंधित परियोजनाओं की जानकारी ली गई। बैठक के बाद रेरा की टीम ने जिले में मुजफ्फरपुर से हाजीपुर, मुजफ्फरपुर से कांटी तथा मड़वन से पोखरैरा तक के मार्गों में सैटेलाइट आधारित सर्वेक्षण के अनुसार चयनित स्थलों पर पहुंच

भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) की टीम ने जिले के विभिन्न इलाकों में चिह्नित भू-सम्पदा परियोजनाओं का किया निरीक्षण

भू-सम्पदा की परियोजनाओं का स्थल निरीक्षण किया। सारण में 18, भागलपुर में नौ, पूर्णिया में पांच एवं दरभंगा में 14 एवं मुजफ्फरपुर में एक दर्जन परियोजनाओं को सैटेलाइट सर्वेक्षण के माध्यम से चिह्नित किया गया है। सारण, भागलपुर, पूर्णिया एवं दरभंगा में सर्वे का काम हो चुका है और अब मुजफ्फरपुर में चल रहा है। रेरा के प्रक्रिया मुल्यांकन पदाधिकारी संजीव वर्मा ने बताया कि रेरा कानून के अनुसार आठ से अधिक प्लॉट एवं पांच सौ से अधिक वर्ग मीटर में फैले परियोजना का रेरा से निबंधन करना जरूरी है।